राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

कमांक :– प.10(8)आयु./2015 पार्ट 4 जयपुर, दिनांक :– 16 SEP 2016

–:: आदेश ::–

राजस्थान आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक सेवा नियम 1973 (संशोधन 2013) के अन्तर्गत आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 1/2013 के परिपेक्ष्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या 6608/2015 ज्योतिबाला बनाम सरकार अन्य एवं याचिका संख्या 8577/2015 मंजीत यादव बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय एवं कार्मिक विभाग की आई.डी संख्या 740 दिनांक 15.07.16 के अनुक्रम में तथा अवमानना याचिका संख्या 368/2016 मंजीत यादव बनाम सरकार के तहत राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा प्रेषित वरीयता सूची दिनांक 22.08.2016 द्वारा अनारक्षित वर्ग की वरीयता संख्या 265 पर मंजीत यादव को एवं वरीयता कमांक संख्या 377 पर ज्योतिबाला को पात्र माना गया है।

अतः निम्नानुसार अभ्यर्थियों को आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर रनिंग पे–बैण्ड 15600–39100 ग्रेड पे–5400 (संख्या 15) में 2 वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित चिकित्सालय/औषधालयों में किया जाता है, इन नियुक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को परीवीक्षाकाल के दौरान नियमानुसार नियत पारश्रमिक 22180/– (अक्षरे बाइस हजार एक सौ अस्सी रूपये/–) मासिक दिया जायेगा :–

क्र. सं.	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	जन्म तिथि	लिंग	वर्ग	प्राप्तांक	विशेष	पदस्थापन स्थान
1.	MANJIT YADAV	JAGDIP YADAV	29-11-81	FEMALE	GEN/ OBC_NC	70.59	सामान्य वर्ग की वरीयता कमांक 265	राज.आयु.औष. रोडवाल, अलवर
2.	JYOTI BALA	MAHABIR PARSAD	29-07-70	FEMALE	GEN/ OBC_NC	69.43	सामान्य वर्ग की वरीयता कमांक 377	राज.आयु.औष. लाछडसर, चुरू

1. उक्त नियुक्तियाँ माननीय उच्च न्यायालय की एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 7291/15 जसप्रीत कौर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य तथा याचिका संख्या 10398/13 अजय फूलवारिया व अन्य बनाम राजस्थान राज्य तथा डी.बी.सिविल याचिका संख्या 3152/2015 अशोक कुमार एवं इसके संलग्न अन्य 50 याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेश/अंतिम आदेश अध्यधीन मानी जायेगी।
2. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को अपने दस्तावेजों का सत्यापन निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर के यहाँ करवाने के उपरान्त ही कार्यग्रहण कर सकेगें।
3. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारी अपनी उपस्थिति संबंधित जिले के जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय में दिनांक 30.09.2016 तक निश्चित रूप से देनी होगी। नियत तिथि तक किसी अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिति में उक्त नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
4. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को निदेशक आयुर्वेद से दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त एवं संबंधित की जन्म तिथि का सत्यापन एवं अन्य दस्तावेजों का प्रमाणीकरण मूल दस्तावेजों से करने के बाद ही संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी अभ्यर्थी के कार्यग्रहण कराने के आदेश जारी करे।
5. संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी इन्हें उपर्युक्तानुसार निर्दिष्ट पदस्थापन स्थान पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
6. परीवीक्षाकाल में यदि राज्य सरकार की राय में उपर्युक्त चिकित्सकों का कार्य या आचरण संतोषप्रद नहीं पाया जाता हैं तो राज्य सरकार इन्हें सेवा से विमुक्त कर सकेगी।
7. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों को नियमानुसार पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, संतान संबंधित प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान निषेध प्रमाण पत्र तथा

राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति हेतु आवश्यक अन्य दस्तावेज कार्यग्रहण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8. उपर्युक्त आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण रिपोर्ट तथा उनके द्वारा प्रस्तुत चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी।
9. उक्त नियुक्तियाँ राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाने वाली अपील के निर्णय के अध्यधीन मानी जायेगी।
10. उक्त को दो वर्ष की काल अवधि के लिये परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी माननीय उच्चतम न्यायालय में एस. एल पी (सिविल) संख्या 25565/2016 के अध्यधीन मानी जायेगी।

(सीमा कुमार)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
4. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
5. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश में प्रदत्त निदेशों की पालना सुनिश्चित करते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।
7. संबंधित अभ्यर्थी मार्फत निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

(कैलाश चन्द कुमावत)
अनुभाग अधिकारी

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

अशोक मार्ग, सावित्री चौराहा, अजमेर (राजस्थान) 305001

क्रमांकः प.1(प्रति.1)आयु.चिकि.नियु/वि.सं.1.13/2015/ 20439-47 दिनांकः 19.09.2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं राज्य–सरकार के आदेशों की पालनार्थ प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान–जयपुर
2. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग, जयपुर/बीकानेर
3. जिला आयुर्वेद अधिकारी, अलवर/चूरू ।
4. संबंधित आशार्थी द्वारा संबंधित जिला आयुर्वेद अधिकारी,
5. प्रभारी, विधि शाखा आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर।
6. सहायक प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय, अजमेर को संबंधित कार्यालय को जरिये ईमैल भिजवाने एवं विभागीय बैबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
7. सामान्य पत्रावली।

(सुशील कुमार शर्मा)
अति.निदेशक–आयुर्वेद